न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 07/2020

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश गुर्जर पुत्र श्री नारायण
   निवासी 241 क कीर्ति नगर, बोराज, अजमेर। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित :– 1.श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2.श्री अमर सिंह राठौड अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 11.05.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 07.2.2020 को अप्रार्थी के मकान पर अवैद्य रूप से वाहनो में गैस रिफलिंग की पुलिस थाना गंज से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारी का संयुक्त जांच दल मौके पर पहूँचॉ। मौके पर पुलिस दल जिसमें एस.एच.ओ श्री जयसिंह स्वयं मौजूद थे। उन्हौने बताया कि इस स्थान के मालिक अप्रार्थी सं0 1 श्री जगदीश गुर्जर के विरूद्ध निरन्तर गाडियों में, तथा छोटे से बडे गैस सिलेण्डरों में एलपीजी गैस भरे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। श्री जयसिंह के अनुसार अप्रार्थी के मकान से घरेलू तथा व्यवसायिक कुल 17 सिलेण्डर तथा एक गैस रिफलिंग मशीन बरामद हुई है। अप्रार्थी का निवास चारों तरफ से दिवारों से घिरा हुआ है। जिसमें जांच दल के प्रवेश करने पर बहुत सारे गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन सामने रखी पाई गई। अप्रार्थी से गैस भरने बाबत पुछताछ में उनके द्वारा वाहन में गैस भरना स्वीकार किया गया तथा घरेलु एलपीजी सिलेण्डर किसी भी वाहन जैसे मारूती वैन या गाडी में भरने के लिए रूपये 800/– लेना भी स्वीकार किया गया। अप्रार्थी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपना गैस सिलेण्डर लेकर आता है तो उससे वह केवल 50/–रूपये मजदूरी लेता है। अप्रार्थी द्वारा छ माह से गाडियो में गैस भरना स्वीकार किया। छोटे सिलेण्डरों से बडे सिलेण्डरों में गैस भरने से साफ इन्कार किया। अप्रार्थी ने बताया कि वह बेरोजगार होने से तथा दूसरा कोई अच्छा कार्य हाथ नहीं आने से उसके द्वारा यह अवैध कृत्य किया जा रहा है। पूर्व में भी अप्रार्थी के यहॉ दबिश देकर अनेक गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन, एक मारूति वैन जब्त की गई थी। अप्रार्थी की स्वीकृति एवं गैस रिफलिंग मशीन मिलने से यह सिद्ध हो गया कि अप्रार्थी अवैध रिफलिंग कृत्य का दोषी है। लिहाजा मौके से 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (सभी इण्डेन कम्पनी) एवं 9 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन राजहित में कब्जे

जिला कलक्टर
अजमेर

राज ली गई। मौके पर ही जब्त सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन श्री अयुब खान पुत्र कयुम खान निवासी फकीरखेडा अजमेर कार्मिक–मैसर्स चन्द्रायन गैस सर्विस अजमेर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी का घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों से वाहनों में रिफिलिंग करने का उक्त कृत्य राजस्थान लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस(रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड दुरूपयोग एल. पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (a) (c), 4(1) (a) (b) (c) (d) तथा (e) का उल्लघंन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू सलेण्डरो को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं0 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई चाही, जिस पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 07.2.2020 को अप्रार्थी के मकान पर अवैद्य रूप से वाहनो में गैस रिफलिंग की पुलिस थाना गंज से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारी का संयुक्त जांच दल मौके पर पहूँचॉ। मौके पर पुलिस दल जिसमें एस.एच.ओ श्री जयसिंह स्वयं मौजूद थे। उन्हौने बताया कि इस स्थान के मालिक अप्रार्थी सं0 1 श्री जगदीश गुर्जर के विरूद्ध निरन्तर गाडियों में, तथा छोटे से बडे गैस सिलेण्डरों में एलपीजी गैस भरे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। श्री जयसिंह के अनुसार अप्रार्थी के मकान से घरेलू तथा व्यवसायिक कुल 17 सिलेण्डर तथा एक गैस रिफलिंग मशीन बरामद हुई है। अप्रार्थी का निवास चारों तरफ से दिवारों से घिरा हुआ है। जिसमें जांच दल के प्रवेश करने पर बहुत सारे गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन सामने रखी पाई गई। अप्रार्थी से गैस भरने बाबत पुछताछ में उनके द्वारा वाहन में गैस भरना स्वीकार किया गया तथा घरेलु एलपीजी सिलेण्डर किसी भी वाहन जैसे मारूती वैन या गाडी में भरने के लिए रूपये 800/– लेना भी स्वीकार किया गया। अप्रार्थी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपना गैस सिलेण्डर लेकर आता है तो उससे वह केवल 50/–रूपये मजदूरी लेता है। अप्रार्थी द्वारा छ माह से गाडियो में गैस भरना स्वीकार किया। छोटे सिलेण्डरों से बडे सिलेण्डरों में गैस भरने से साफ इन्कार किया। अप्रार्थी ने बताया कि वह बेरोजगार होने से तथा दूसरा कोई अच्छा कार्य हाथ नहीं आने से उसके द्वारा यह अवैध कृत्य किया जा रहा है। पूर्व में भी अप्रार्थी के यहॉ दबिश देकर अनेक गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन, एक मारूति वैन जब्त की गई थी। अप्रार्थी की स्वीकृति एवं गैस रिफलिंग मशीन मिलने से यह सिद्ध हो गया कि अप्रार्थी अवैध रिफलिंग कृत्य का दोषी है। लिहाजा मौके से 8 घरेलू गैस सिलेण्डर (सभी इण्डेन कम्पनी) एवं 9 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन राजहित में कब्जे राज ली गई। मौके पर ही जब्त सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन श्री अयुब खान पुत्र कयुम खान निवासी फकीरखेडा अजमेर कार्मिक–मैसर्स चन्द्रायन गैस सर्विस अजमेर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी का घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों से वाहनों में रिफिलिंग करने का उक्त कृत्य राजस्थान लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस(रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (a) (c), 4(1) (a) (b) (c) (d) तथा (e) का उल्लघंन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की

जिला कलक्टर
अजमेर

धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये घरेलू सलेण्डरो को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी का पुत्र गैस एजेन्सी में कार्य करता है। मेरे पडौसी छोटू पुत्र घासी की पुत्री की शादी में उपयोग हेतु यह सिलेण्डर दिलवाये गये थे। दिनांक 7.2.2020को गैस एजेन्सी का अवकाश होने कारण यह सिलेण्डर वापिस जमा नहीं करवाये जाने से मेरे पुत्र के पास रखवाय गये थें। जांच दल को उक्त तथ्यों से अवगत भी करवाया गया किन्तु उनके द्वारा बिना जांच किये ही वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर मुझ से खाली पेपरों पर हस्ताक्षकर करवाकर यह प्रकरण बना कर माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत किया गया है। मनगढन्त तरीके से फर्द मौका व फर्द जब्ती बनाकर बिना किसी साक्ष्य, बयान आदि के प्रकरण बनाये जाने से काबिले खारिज है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध बनाया गया प्रकरण खारिज फरमाते हुए जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य,सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच अप्रार्थीगण के घर से 8 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 9 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन का पाया जाना अवैद्य गैस भण्डारण एवं रिफिलिंग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस(रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (a) (c), 4(1) (a) (b) (c) (d) तथा (e) का उल्लघंन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 9 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय 14 किलो एल.पी.जी. एवं रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर